कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 281/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 18.07.2026

थाना – जीयनपुर, जनपद – आजमगढ़

बारात रोककर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में 05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त बांस का डण्डा बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जीयनपुर के निर्देशन में थाना जीयनपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। पुलिस टीम ने बारात रोककर मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एक बांस का डण्डा भी बरामद किया।

घटना का विवरण-

दिनांक 25.06.2026 को वादी मुकदमा राणा प्रताप राजभर पुत्र शिवभजन राजभर निवासी नाजिरपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण ने उनकी बारात को आगे जाने से रोक दिया तथा विरोध करने पर एक राय होकर लाठी-डण्डों से हमला कर मारपीट की, गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 275/2026 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109(1) बीएनएस बनाम नामजद 05 अभियुक्तों एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक विनय कुमार सहाय द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 17.07.2026 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्तों को बागखालिस पेट्रोल पम्प के पास से समय लगभग 03:15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शिवधन राजभर पुत्र रामबृज राजभर, निवासी दाउदपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. रामजनम राजभर पुत्र भीम राजभर, निवासी दाउदपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष।
3. भोला राजभर पुत्र फेरू राजभर, निवासी दाउदपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।
4. जितई उर्फ जितेन्द्र राजभर पुत्र हरिश्चन्द्र राजभर, निवासी दाउदपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष।
5. चन्दन राजभर पुत्र रामवृक्ष राजभर, निवासी दाउदपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी-

- अभियुक्त चन्दन राजभर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त **एक अदद बांस का डण्डा** बरामद।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 275/2026, धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109(1) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विनय कुमार सहाय, उ0नि0 हरीश कुमार शुक्ला, का0 रोहित त्रिपाठी, का0 राजू यादव, रि0का0 कर्णजीत विश्वकर्मा थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़
चेकिंग के दौरान अवैध तमंचे के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
अवैध तमन्चा, मोटरसाइकिल व नकदी बरामद, आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

जनपद में अपराध एवं अवैध शस्त्रों के विरुद्ध **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मुबारकपुर पुलिस को अवैध शस्त्र बरामदगी में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया है।
दिनांक 17.07.2026 को प्रभारी निरीक्षक शशिचन्द्र चौधरी मय पुलिस टीम थाना क्षेत्र में देखभाल क्षेत्र, अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग के दौरान फखरूद्दीनपुर-भटौरा अण्डरपास के पास मौजूद थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध असलहे के साथ मोटरसाइकिल से आने वाला है। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोककर पकड़ा।
पूछताछ में उसने अपना नाम **गोविन्द यादव पुत्र कन्हैया यादव**, निवासी ग्राम यहिया चक, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ, उम्र लगभग 23 वर्ष बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से **एक अदद नाजायज देशी तमंचा .32 बोर** बरामद हुआ। अभियुक्त के पास मौजूद **सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या UP 54 Z XXXX** के संबंध में वैध अभिलेख मांगे जाने पर वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके कारण वाहन को **धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम** के अंतर्गत सीज कर दिया गया। जामा तलाशी से **100 रुपये नकद** भी बरामद हुए।
अभियुक्त को अवैध शस्त्र रखने के अपराध से अवगत कराते हुए समय करीब **22:40 बजे** विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन किया गया।
इस संबंध में थाना मुबारकपुर पर **मु.अ.सं.- 265/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

बरामदगी-

- एक अदद नाजायज देशी तमंचा .32 बोर
- एक अदद सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या UP 54 Z 5956 (धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज)
- 100 रुपये नगद

गिरफ्तार अभियुक्त-

- गोविन्द यादव पुत्र कन्हैया यादव, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम यहिया चक, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री शशिचन्द्र चौधरी, उ0नि0 मो. शमशाद खान, का. बृजमोहन कन्नौजिया, रि.का. सतीश यादव, हे.का. शोभनाथ यादव, हे.का. संजय यादव, का. सदानन्द सिंह, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना : रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म के आरोपी को रानी की सराय पुलिस ने किया गिरफ्तार

जनपद आजमगढ़ में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना रानी की सराय पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम ने युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

पूर्व की घटना-

दिनांक 06.07.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना रानी की सराय पर लिखित तहरीर देकर बताया गया कि उनकी पुत्री को दिनांक 19.06.2026 को प्रातः लगभग 05:00 बजे अभियुक्त सूरज कुमार बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0- 185/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 18.07.2026 को उ0नि0 मो0 शाहिद खान मय हमराह क्षेत्र में चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में मौजूद थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त सूरज कुमार ग्राम रुदरी अंडरपास के पास मौजूद है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम ने घेराबंदी कर अभियुक्त **सूरज कुमार पुत्र स्वर्गीय अवधेश राम निवासी ग्राम रुदरी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़** को **प्रातः 07:30 बजे रुदरी अंडरपास** से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 185/2026, धारा 87/115(2)/64(1) बीएनएस थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- सूरज कुमार पुत्र स्वर्गीय अवधेश राम निवासी ग्राम रुदरी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 मो0 शाहिद खान, रि0का0 रजत पाल, रि0का0 सत्येन्द्र यादव, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ ।

थाना : सिधारी, जनपद आजमगढ़

नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपी को सिधारी पुलिस ने किया गिरफ्तार

पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, न्यायालय भेजा गया

गिरधरपुर पुलिया से पुलिस ने दबोचा दुष्कर्म का आरोपी

जनपद आजमगढ़ में महिला एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिधारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

पूर्व की घटना-

दिनांक 17.07.2026 को वादी द्वारा थाना सिधारी पर लिखित प्रार्थना-पत्र देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम जिरिकपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा उसकी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 298/2026 धारा 65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 18.07.2026 को प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम जिरिकपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ को समय 11:45 बजे गिरधरपुर पुलिया से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय भेजा गया ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 298/2026, धारा 65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त- दीपक कुमार पुत्र महेन्द्र, निवासी ग्राम जिरिकपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 35 वर्ष।

थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

3.14 करोड़ रुपये की निवेश ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई, दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

कस्टम अधिकारी बनकर अधिक मुनाफे का झांसा देने वाले गिरोह के दो सदस्य पुलिस की गिरफ्त में

जनपद आजमगढ़ के थाना कोतवाली पुलिस ने करोड़ों रुपये की निवेश ठगी के बहुचर्चित प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों पर फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर लोगों का विश्वास जीतने, अधिक लाभांश दिलाने का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने तथा रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

पूर्व की घटना-

वादी मुकदमा शेखर श्रीवास्तव पुत्र अरूण कुमार श्रीवास्तव निवासी अनन्तपुरा कटरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि मातवरगंज बड़ादेव मंदिर के सामने नगर पालिका मार्केट स्थित एक फ्लैट में रहने वाले विकास राय शर्मा, विशाल राय, अनिल कुमार शर्मा, अद्भुत राय शर्मा, अंशु सिंह एवं ममता शर्मा संगठित रूप से लोगों को अधिक मुनाफा दिलाने का लालच देकर निवेश के नाम पर ठगी करते हैं।

विकास राय शर्मा ने स्वयं को कस्टम विभाग का कर्मचारी बताते हुए फर्जी कस्टम आईडी एवं कूटरचित दस्तावेज दिखाकर विश्वास अर्जित किया तथा अपने रिश्तेदार को दिल्ली में कस्टम कमिश्नर बताकर तांबा, कपड़ा, सोना एवं मोबाइल के कारोबार में निवेश करने पर 50 से 90 प्रतिशत तक लाभ दिलाने का प्रलोभन दिया। प्रारम्भ में विश्वास कायम करने के उद्देश्य से कुछ लाभांश वापस भी किया गया, जिससे वादी एवं उसके परिजनों का भरोसा और बढ़ गया।

इसके बाद वादी, उसके भाई जयन्त श्रीवास्तव तथा पिता अरूण कुमार श्रीवास्तव ने विभिन्न तिथियों में अभियुक्त के बैंक खातों में कुल **3 करोड़ 14 लाख रुपये** स्थानांतरित किए। अभियुक्त द्वारा केवल **51 लाख रुपये** वापस किए गए, जबकि शेष **2 करोड़ 63 लाख रुपये** वापस नहीं किए गए। जब पीड़ितों ने धनराशि वापस मांगी तो अभियुक्तों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 377/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में दिनांक **18.07.2026** को म0उ0नि0 शशि सिंह ने **कंधरापुर बाजार** से दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. **विकास राय** पुत्र अनिल राय, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी जोल्हापुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, वर्तमान पता फ्लैट नं. 2F-604, थाना एसीटी, जनपद गौतमबुद्ध नगर।
2. **विशाल राय** पुत्र अनिल राय, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी जोल्हापुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, वर्तमान पता फ्लैट नं. 2F-604, थाना एसीटी, जनपद गौतमबुद्ध नगर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 **377/2026**, धारा **319(2)/318(4)/338/336(3)/352/351(3)/3(5) बीएनएस**, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

म0उ0नि0 शशि सिंह, उ0नि0 रविन्द्र प्रताप यादव, हे0कां0 सुरेन्द्र पटेल, रि0कां0 लवकुश मौर्या, रि0कां0 पंकज यादव थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।